

थाना उधैती पुलिस द्वारा किया गया हत्या की घटना का सफल अनावरण, घटना में शामिल 04 अभि0गण मय आलाकत्ल के गिरफ्तार । \*

दिनांक 10.07.21 को थाना उधैती पुलिस को सूचना मिली कि बालाकिशनपुर के पास हाईवे के नीचे गड्डे में एक युवक की लाश पड़ी है । उक्त सूचना पर थाना पुलिस मौके पर गयी तथा मृतक के शव की पंचायतनामा व पोस्टमॉर्टम की कार्यवाही की गयी । जिसके संबंध में थाना उधैती पर मु0अ0सं0 148/21 धारा 394/302/201 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा टीम गठित की गयी । उक्त क्रम में आज दिनांक 13.07.21 समय 00.50 A.M. मुखबिर की सूचना व सर्विलांस टीम की सहायता से मण्डी समिति सहसवान के पास से घटना में शामिल 04 अभि0गण 1. मोहित पुत्र रक्षपाल नि0 ग्राम रामपुर टप्पा वैश्य थाना जरीफनगर जिला बदायूं, 2. आसिफ पुत्र शकील नि0 ग्राम नदायल थाना सहसवान जिला बदायूं, 3. बन्टी पुत्र मेवाराम नि0 ग्राम रामपुर टप्पा वैश्य थाना जरीफनगर जिला बदायूं, 4. धारा सिंह पुत्र भगवान सिंह नि0 भक्ता नगला थाना सहसवान जिला बदायूं को सम्बन्धित मु0अ0सं0 148/21 धारा 394/302/201 भादवि में गिरफ्तार किया गया । दौराने पूछताछ अभि0गण द्वारा बताया गया कि हमने ट्रक लूटने की योजना बनाई थी जिसके तहत रात्रि में मृतक ट्रक ड्राइवर मौहम्मद मियां ट्रक लेकर घर से चला तो पहले से मौजूद अभि0गण में से आसिफ ने हाथ देकर ट्रक को रुकवाया । जिसे पहचान कर मृतक ने ट्रक रोक लिया । आगे छोड़ने का हवाला देकर आसिफ और बन्टी मोटर साईकिल से ट्रक के पीछे हो गये तथा अन्य 04 अभि0गण ट्रक के अन्दर बैठ गये । बैठने के बाद अभि0 धीरा ने कहा भईया मेरा गाडी चलाने का मन कर रहा है । मैं गाडी चला लूं क्या? इस पर मृतक मौहम्मद मियां ने अभि0 धीरा को स्टेयरिंग दे दिया और मृतक बाकी अभि0गण के साथ बैठ गया । थोड़ी दूर चलने के बाद मोहित ने पीछे से गमछे से मृतक का गला दबाकर केबिन में गिरा लिया तथा प्लास से उसके सिर में चोट मारकर उसकी हत्या कर दी तथा ट्रक को घुमाकर उधैती क्षेत्र ले आये । बालाकिशनपुर के पास योजना के तहत दुर्घटना दिखाने व पहचान छुपाने के उद्देश्य से उसके चेहरे को ट्रक के आगे के बाए पहिये से कुचल दिया तथा रात्रि में ही माल बेचने का प्रयास करने लगे । अभि0गण को यह ज्ञात था कि इसमें AC और फ्रिज आते हैं किन्तु अभि0गण ने उससे बिल्टी निकाला जिसमें मारुति के पार्टस के सम्बन्ध में लिखा था । फौजी ढाबा सहसवान के पास पुलिस बल को देखकर अभि0गण डरकर ट्रक छोड़कर भाग गये । गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में अपने दो अन्य साथियों का होना भी बताया जिनके नाम 1. अनिल यादव पुत्र बादाम, 2. धीरा पुत्र मनोहर नि0गण भक्ता नगला थाना सहसवान जिला बदायूं है, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । गिरफ्तार अभि0गण की निशांदाही पर मृतक का लूटा हुआ फोन, एक प्लास जो हत्या में प्रयुक्त हुआ, माल लदा

हुआ कन्टेनर नं0 HR 55 A 3382 बरामद हुआ । गिरफ्तार अभि0गण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया ।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम पता-

1. मोहित पुत्र रक्षपाल नि0 ग्राम रामपुर टप्पा वैश्य थाना जरीफनगर जिला बदायूं
2. आसिफ पुत्र शकील नि0 ग्राम नदायल थाना सहसवान जिला बदायूं
3. बन्टी पुत्र मेवाराम नि0 ग्राम रामपुर टप्पा वैश्य थाना जरीफनगर जिला बदायूं तथा
4. धारा सिंह पुत्र भगवान सिंह नि0 भक्ता नगला थाना सहसवान जिला बदायूं ।

विवरण बरामदगी-

1. मोबाइल फोन(मृतक से लूटा हुआ)
2. प्लास
3. माल लदा हुआ कन्टेनर नं0 HR 55 A 3382

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह राणा थाना उधैती जनपद बदायूं मय पुलिस टीम तथा 2. निरीक्षक धर्मेन्द्र गुप्ता प्रभारी एसओजी मय टीम बदायूं

सोशल मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद बदायूं ।